

क्रमांक प० ४(२६) वन/२००८

जयपुर, दिनांक 24 NOV 2014 ✓

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- ऑफ लाईन प्रस्ताव बारां जिले की पाटरी से भटगाँव तक सड़क परियोजना हेतु  
वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु।

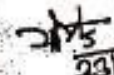
संदर्भ :- सार्वजनिक निर्माण विभाग की एकल पत्रावली क्रमांक एस.ई. (पी.एम.जी.एस.वाई  
) / 2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत 'संदर्भित पत्रावली के क्रम में लेख है कि बारां जिले की पाटरी से  
भटगाँव तक सड़क परियोजना ऑफ लाईन प्रस्ताव हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन के क्रम में भारत सरकार  
द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक ८बी/राज/०६/११/२००८/एनएम/४९४ दिनांक २२.०७.२०१०  
में अधिसूचित शर्तों की पालना में वर्ष २०१६-१७ हेतु बजट मद ४४०६-०१-८००-(०२)-(००)-१७ वृहद  
निर्माण (आयोजना) मद में कुल राशि रुपये ६,६०,६४३ लाख (अक्षरे छ लाख साठ हजार छ सौ  
तियालिस रुपये मात्र) को कैम्पा फण्ड में जरिये सृजित ऑन लाईन चालान जमा कराने की  
स्वीकृति एतद्वारा इस शर्त के प्रदान की जाती है कि विभाग उक्त राशि को कार्य की मूल स्वीकृति  
में सम्मिलित करना सुनिश्चित करेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-३) विभाग की आई. डी. संख्या १७६०१०८४ दिनांक २८.१०.२०१६  
से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

  
(विनोद कुमार)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

१. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान- जयपुर।
२. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उक्त परियोजना की कुल लागत राशि रुपये ६,६०,६४३ लाख (अक्षरे छ लाख साठ हजार छ सौ तियालिस रुपये मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में उपरोक्त स्वीकृत राशि को शामिल किया जाना सुनिश्चित करावे।
४. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन, सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी
५. विशेषाधिकारी वित्त (व्यय-३) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
६. शासन उप सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
८. रक्षित पत्रावली।

  
(विनोद कुमार)  
विशेषाधिकारी